UPBJ010071122022

न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नंबर–03, बिजनौर।

पीठासीन अधिकारीः– हनी गोयल, उच्चतर न्यायिक सेवा – UP02408

<u>फौजदारी अपील संख्या–112/2022</u>

1– प्रदीप कुमार पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम सेमला थाना शिवाला कला जिला बिजनौर।

.... अपीलार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जिलाधिकारी, बिजनौर।

.... प्रत्युत्तरदाता/अभियोजन

UPBJ010071112022

<u>फौजदारी अपील संख्या–113/2022</u>

1– राजेन्द्र सिंह पुत्र निहाल सिह
2– उमराव उर्फ पप्पू पुत्र ध्यान सिंह
निवासीगण सेमला थाना शिवाला कला जिला बिजनौर।

.... अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जिलाधिकारी बिजनौर।

.... प्रत्युत्तरदाता/अभियोजन

मु0अ0सं0–514/2014
धारा–323,324,325,504,506 भा0दं0सं0
थाना– नूरपुर, बिजनौर

<u>निर्णय</u>

1– प्रस्तुत फौजदारी अपील संख्या 112/2022 प्रदीप कुमार पुत्र राजेन्द्र सिंह बनाम उ0 प्र0 सरकार, विद्वान न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं0–01, बिजनौर द्वारा फौजदारी वाद संख्या 2169/2022, मु0अ0सं0 514/2014 सरकार बनाम प्रदीप कुमार अन्तर्गत धारा 323,324,325,504,506 भा0दं0सं0 थाना नूरपुर, जिला बिजनौर में पारित निर्णय दिनांकित 09–09–2022 व

Digitally signed by HONEY GOEL
Date: 2023.08.30 16:01:09 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

दिनांकित 12–09–2022 एवं फौजदारी अपील सं0 113/2022 राजेन्द्र सिंह आदि बनाम उ0प्र0 सरकार, विद्वान न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं0–01, बिजनौर द्वारा फौजदारी वाद संख्या 31121/2022, मु0अ0सं0 514/2014 सरकार बनाम राजेन्द्र आदि अन्तर्गत धारा 323,324,325,504,506 भा0दं0सं0, थाना नूरपुर, जिला बिजनौर में पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांकित 09–09–2022 के विरूद्ध योजित की गयी हैं, उक्त आक्षेपित निर्णयों के द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण प्रदीप कुमार, राजेन्द्र सिंह व उमराव उर्फ पप्पू प्रत्येक को धारा 323 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप में 6–6 माह के साधारण कारावास से, धारा 324 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप में 2–2 वर्ष के साधारण कारावास से, 325 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप में 3–3 वर्ष के साधारण कारावास से व पांच–पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड से, धारा 504 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप में 6–6 माह के साधारण कारावास से, धारा 506 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप में दो–दो वर्ष के साधारण कारावास से तथा अर्थदण्ड न देने की स्थिति में प्रत्येक को 3–3 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया है।

2– उपरोक्त दोनों अपील एक ही प्रकरण से सम्बन्धित होने के कारण उपरोक्त दोनों अपीलों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

3– प्रस्तुत फौजदारी अपील से सबंधित तथ्य इस प्रकार हैं कि वादनी मुकदमा अंजली रानी पत्नी प्रदीप कुमार हाल निवासी केयर आफ पुखराज सिंह ग्राम मटोरा दुर्गा, थाना धामपुर, जिला बिजनौर द्वारा थाना नूरपुर पर तहरीर प्रदर्श क–1 इस आशय की दी गयी कि उसका विवाद दहेज उत्पीडन को लेकर उसके पति व अन्य ससुरालवालों से चल रहा है, जिसके लिये उसने थाना शिवाला कला में मुकदमा संख्या 97/2014 दर्ज कराया, जो जेरे तफ्तीश है। दिनांक 18–12–2014 को उसके ससुरालवालो ने समझौता करने के लिये फीना भट्टे पर बुलवाया था। वादिनी अपने पिता के साथ फीना भट्टे पर समझौते के लिये गयी, समझौता लगभग तीन बजे समाप्त हुआ, उसके बाद वादिनी अपने पिता के साथ मटोरा दुर्गा से अपने ग्राम लौट रही थी, लगभग 03:30 बजे दिन के समय चांदपुर तिराहे से पहले ग्राम तंगरौला के सामने प्रदीप पुत्र राजेन्द्र, राजेन्द्र पुत्र निहाल, उमराव उर्फ पप्पू ने वादिनी और उसके पिता को रोककर गंदी गंदी गालियां देनी शुरू कर दी और कहने लगे कि आज अंजली को मारकर किस्सा खत्म कर देते हैं। मारपीटी शुरू कर दी, जिससे वादिनी के पेट के दांये हिस्से के ऊपर किसी धारदार हथियार से जान से मारने की नियत से वार किया, जिससे गम्भीर चोटें आयी। वादिनी गिर गयी, उसको तीनो मुल्जिमान लगातार मारपीट कर रहे थे। वादिनी के पिता को भी लात घूंसों से मारा। उधर से गुजरते हुये पीताम्बर सिंह, लाल बहादुर वगैरा लोगो ने वादिनी और उसके पिताजी को बचाया। मुल्जिमान गंदी गंदी गालियां और जान से मारने की धमकी देकर चले गये। वादिनी और उसके पिताजी इसके बाद नूरपुर

अस्पताल गये। वादिनी के पेट के ऊपरी दांये हिस्से पर टांके लगाये तथा ईलाज किया।

4– उक्त तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर, जिला बिजनौर पर दिनांक 20–12–2014 को समय 09:40 बजे मु0अ0सं0 514/2014 अन्तर्गत धारा 323,325,504,506 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत अभियुक्तगण प्रदीप कुमार, राजेन्द्र व उमराव के विरूद्ध दर्ज किया गया। दौरान विवेचना गवाहान के बयान अंकित किये गये तथा नक्शा नजरी बनाया गया। विवेचक द्वारा विवेचना उपरान्त अभियुक्तगण के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुये आरोप पत्र सं0 245/2014 अन्तर्गत धारा 323,325,504,506 भा0दं0सं0 अभियुक्तगण प्रदीप कुमार, राजेन्द्र व उमराव उर्फ पप्पू के विरूद्ध विचारण हेतु न्यायालय प्रेषित किया गया।

5– विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण प्रदीप कुमार, राजेन्द्र व उमराव उर्फ पप्पू के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 323,324,325,504,506 भा0दं0सं0 में आरोप दिनांक 16–06–2016 को विरचित किया गया, जिससे अभियुक्तगण ने घटना से इंकार कर विचारण की मांग की।

6– विचारण न्यायालय अभियोजन पक्ष की ओर से अपने कथानक के समर्थन में पी0डब्लू0–1 अंजली/वादिनी मुकदमा, पी0 डब्लू0 2 पुखराज सिंह, पी0 डब्लू0 3 डा0 निधिश कुमार चिकित्साधिकारी, पी0डब्लू0 4 संजय कुमार, पी0डब्लू0 5 डा0 बी0 आर0 त्यागी रेडियोलोजिस्ट जिला चिकित्सालय बिजनौर एवं पी0डब्लू0 6 राजवीर सिंह को परीक्षित कराया गया। अन्य किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया।

7– अभियोजन पक्ष का साक्ष्य समाप्त होने के उपरांत अभियुक्तगण का बयान धारा 313 दं0प्र0सं0 दिनांक 05–07–2022 को अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण द्वारा उन पर लगाये गये आरोप को गलत बताया तथा यह भी कथन किया कि वादनी द्वारा दबाव बनाने के लिये मुकदमा चलाया गया है। अभियुक्त प्रदीप कुमार द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 में कथन किया गया है कि वह किसी पंचायत में नहीं गया न ही किसी फैसले की बात हुई, वह पैर में फ्रेक्चर होने के कारण बेड रेस्ट पर था। अभियुक्त राजेन्द्र सिंह द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 में कथन किया गया कि वह प्राईवेट स्कूल में अध्यापक के पद पर तैनात था और उस दिन स्कूल में था, वह किसी फैसले में पंचायत में नहीं गया। अभियुक्त उमराव सिंह ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 में कथन किया है कि उसकी राजेन्द्र सिंह व प्रदीप से मिल्लतदारी होने के कारण झूंठा फंसाया है ताकि वह इनकी पैरवी न कर सके, वह जाति से गुर्जर है तथा ये लोग चौहान हैं। अभियुक्तगण की ओर से सफाई साक्ष्य में डी0डब्लू0–1 के रूप में संवेग कुमार पुत्र मंगू सिंह को परीक्षित कराया गया है।

8– विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियोजन पक्ष तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुनकर पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्य का विश्लेषण करते हुए अभियुक्तगण प्रदीप कुमार, राजेन्द्र सिंह व उमराव

सिंह उर्फ पप्पू को प्रस्तुत प्रकरण में उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 323,324,325,504,506 भा0दं0सं0 में दोषसिद्ध किया गया तथा दण्डित किया गया। जिससे क्षुब्ध होकर अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपीलें योजित की गयी हैं।

9– उक्त फौजदारी अपीलों में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा यह आधार लिये गये हैं कि प्रश्नगत आदेश व निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत पारित किया गया है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सही विवेचन न करके मनमाने तरीके से साक्ष्य को स्वीकार कर अपीलान्ट्स को दण्डित किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध कथित चिकित्सीय व अभियोजन की मौखिक साक्ष्य एक दूसरे के विपरीत है जो किसी भी प्रकार से विश्वसनीय नहीं है। अपीलान्ट सं0 2 उमराव उर्फ पप्पू का परिवार अलग रहता है। अभियोजन द्वारा अपना प्रकरण किसी भी प्रकार से सन्देह से परे साबित नहीं किया गया है। अभियोजन कथानक कतई अविश्वसनीय और संदेहास्पद है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा साक्ष्य का सही परिशीलन न करके तथा अभियोजन साक्ष्य को विश्वसनीय मानकर विधिक त्रुटि की है। अभियोजन द्वारा किसी विशिष्ट हथियार का उल्लेख अपने प्रकरण में नहीं किया है। अभियोजन प्रकरण मिथ्या व काल्पनिक साक्ष्य पर आधारित है जो किसी भी प्रकार विश्वसनीय नहीं है। अभियोजन पक्ष कथित घटना का उदगम साबित करने में पूर्णतः विफल रहा है और प्राथमिकी भी एक संदिग्ध दस्तावेज है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित दण्डादेश अत्यधिक है। अन्य अनेक विधि व तथ्यात्मक बिन्दु अन्तिम तर्क प्रस्तुत करते समय माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे। उक्त कथनों के आधार पर प्रस्तुत फौजदारी अपीले स्वीकार करने तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व दण्डादेश अपास्त किया जाकर अपीलान्ट्स को दोषमुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

10– अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तरदाता राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की बहस सुनी तथा पत्रावलियों का सम्यक अवलोकन किया।

11– अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा अपील में उल्लेखित तर्कों के आधार पर ही अपीलें स्वीकार किये जाने व विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय व आदेश दिनांकित 09–09–2022 एवं 12–09–2022 निरस्त किये जाने तथा अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण को दोषमुक्त किये जाने पर बल दिया गया है।

12– उत्तरदातागण/उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा तर्क दिया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को दोषसिद्ध करने का निर्णय सही पारित किया गया है उसमें कोई विधिक या तथ्यातमक त्रुटि नहीं है। अभियोजन द्वारा अभियोजन कथानक के समर्थन में परीक्षित कराये गये साक्षीगण के कथनों से तथा दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्तगण द्वारा वादनी मुकदमा से मारपीट कर घायल करना, गाली गलौच करने

व जान से मारने की धमकी दिया जाना साबित किया गया है। उक्त दोनो अपील निरस्त किये जाने पर बल दिया गया।

13– इस न्यायालय को यह निष्कर्ष देना है कि क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विचारण के दौरान आये साक्ष्यों का विधि सम्मत रूप से परीक्षण करते हुये आक्षेपित निर्णय पारित किया गया है अथवा नहीं?

14– उल्लेखनीय है कि विद्वान विचारण न्यायालय में अभियोजन द्वारा अभियोजन कथानक को सिद्ध करने के लिये 03 मुख्य तथ्यों के साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है, जिसमें एक स्वयं वादिनी मुकदमा अंजली रानी पी0डब्लू0–1 तथा पी0डब्लू0–2 वादिनी मुकदमा के पिता पुखराज सिंह एवं पी0डब्लू0–6 राजवीर सिंह को परीक्षित कराया गया है। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन द्वारा किसी विशिष्ट हथियार का उल्लेख अपने प्रकरण में नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली में उल्लेखित पी0डब्लू0–1 की मुख्य परीक्षा में पी0डब्लू0–1 द्वारा यह स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि उसके ऊपर प्रदीप ने धारदार हथियार से पेट के दाहिनी तरफ तथा नाक पर जान से मारने की नियत से हमला किया तथा राजेन्द्र व उमराव ने लाठी व डन्डों से उसे मारा जिससे उसे काफी गम्भीर चोटे आयीं। इसके सम्बन्ध में पी0डब्लू0–3 डा0 निधिश कुमार चिकित्साधिकारी के द्वारा चुटैल अंजली रानी की चिकित्सीय आख्या में चोट नं0 3 कटा हुआ घाव 05 से0मी0 X 0.25 से0मी0 खाल की गहराई तक पेट के सीधी तरफ होरिजोन्टल अवस्था में था जिसके किनारे रेगुलर थे और खून के थक्के विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त पी0डब्लू0–3 द्वारा अन्य चार चोटे भी चुटैल अंजली रानी को आना अपनी आख्या प्रदर्श क–2 में प्रदर्शित किया गया है, जिसमें चोट नं0 4 व 5 को गम्भीर प्रकृति की कथित किया गया है तथा जिनके सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से मत व्यक्त किया गया है कि चोट नं0 3 धारदार हथियार से व अन्य सभी चोटे हार्ड एण्ड ब्लन्ट आब्जेक्ट से आना सम्भव है। पी0डब्लू0–5 डा0 बी0 आर0 त्यागी रेडियोलॉजिस्ट के द्वारा चुटैल अंजली रानी के छाती के एक्सरे में दाहिनी ओर की आखिरी पसली टूटी पाया जाना तथा नाक की हड्डी टूटी पाये जाने का कथन किया गया है तथा आख्या प्रदर्श क–6 को साबित किया गया है। इस प्रकार चिकित्साधिकारीगण पी0डब्लू0–3 एवं पी0डब्लू0–5 के द्वारा भी पी0डब्लू0–1 के कथनों को सम्पोषित किया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त चोटों से स्पष्ट है कि उक्त चोटे किसी धारदार हथियार तथा हार्ड एण्ड ब्लन्ट आब्जेक्ट से आना युक्ति युक्त संदेह से परे सिद्ध है तथा इस सम्बन्ध में चुटैल पी0डब्लू0–1 अंजली रानी से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वह हर तथ्य का सूक्ष्मता से विवरण अंकित करे तथा जब उसे चोट पहुंचायी जा रही हो तो वह यह भी ध्यान रखे कि उसे किस हथियार से चोट पहुंचायी गयी है। जबकि उस पर हमला किया जा रहा हो। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वादिनी मुकदमा पी0डब्लू0–1 द्वारा अपनी तहरीर प्रदर्श क–1 में स्पष्ट रूप से यह उल्लेखित किया है कि उसके पेट के दाये हिस्से के ऊपर किसी धारदार हथियार से जान से

मारने की नियत से वार किया गया जिससे उसके गम्भीर चोटे आयीं। जहां तक वादिनी मुकदमा पी0डब्लू0–1 द्वारा लाठी डन्डे अपनी तहरीर प्रदर्श क–1 में उल्लेखित न करने का प्रश्न है इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा विभिन्न विधि व्यवस्थाओं में यह अवधारित किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्पूर्ण ग्रन्थ नहीं हो सकती है, जिसमें सभी तथ्यों का संकलन किया जा सके। माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा विभिन्न विधि व्यवस्थाओं में यह भी अवधारित किया गया कि जब किसी साक्षी को न्यायालय में परीक्षित किया जाता है तो उसके कथनों में सूक्ष्म विरोधाभाष, असंगतता एवं विसंगता आना स्वाभाविक है तथा कई परिस्थितियों में साक्षी द्वारा कथनों की अतिश्योक्ति करके न्यायालय में बयान दिया जाता है तो ऐसी अवस्था में साक्षी के कथनों को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है तथा न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह साक्षी के समस्त कथनों का परीक्षण करके निष्कर्ष दे। पी0डब्लू0–1 के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का पूर्ण समर्थन किया गया है तथा प्रतिपरीक्षा में भी ऐसा कोई कथन साक्षी पी0डब्लू0–1 द्वारा नहीं किया गया जिससे अभियोजन कथानक पर विपरीत प्रभाव पडता हो। यह भी उल्लेखनीय है कि चक्षुसाक्षी पी0डब्लू0–2 पुखराज एवं पी0डब्लू0–6 राजवीर सिंह द्वारा भी पी0डब्लू0–1 वादिनी मुकदमा अंजली रानी के साथ घटना कारित किये जाने का स्पष्ट उल्लेख करते हुये पी0डब्लू0–1 के कथनों का समर्थन किया है जिसमें कोई युक्ति युक्त संदेह उत्पन्न नहीं होता। अतः इस सम्बन्ध में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया निष्कर्ष विधि सम्मत है।

15– अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह भी तर्क दिया गया है कि चुटैल पी0डब्लू0–1 अंजली रानी के जो भी चोटे अभियोजन द्वारा कथित की गयी हैं वह चोटे चुटैल ने प्रस्तुत वाद से पहले ही एक दहेज वाला वाद दर्ज कराया था, उसमें लिखायी थी तथा चुटैल द्वारा पुनः उन चोटो को प्रस्तुत वाद में झूठा दिखाया गया है। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा न्यायालय के समक्ष मात्र यह मौखिक कथन प्रस्तुत किया गया है, जिसके सम्बन्ध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर इस तथ्य को सिद्ध नहीं किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि पी0डब्लू0–3 द्वारा साबित अंजली रानी की चुटैल आख्या प्रदर्श क–2 में स्पष्ट रूप से चोटो की अवधि ताजा अंकित है, जिससे अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

16– अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया कि एक दुर्घटना में अभियुक्त प्रदीप कुमार के पैर में फ्रेक्चर हो गया था जिसके कारण वह बेड रेस्ट पर था। उल्लेखनीय है कि इस सम्बन्ध में बचाव पक्ष द्वारा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सिद्ध नहीं किया

गया है। जबकि यदि घटना के समय अभियुक्त प्रदीप के पैर में फ्रेक्चर था तथा वह बेड रेस्ट पर था तब बडी सुगमता से इसे सिद्ध किया जा सकता था। अतः अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क पोषणीय नहीं है।

17– अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त राजेन्द्र घटना के समय घटना स्थल पर उपस्थित नहीं था वह स्कूल में था तथा इसके सम्बन्ध में डी0डब्लू0–1 द्वारा विश्वसनीय कथन किये गये हैं जिन पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विश्वास न करके विधिक त्रुटि की गयी है। उल्लेखनीय है कि इस सम्बन्ध में डी0डब्लू0–1 संवेग कुमार द्वारा मुख्य परीक्षा में कथन किया गया कि वह जागृति इण्टर कालेज में मुख्य लिपिक के पद पर तैनात है तथा वर्ष 2014 में अभियुक्त राजेन्द्र कुमार सहायक अध्यापक तैनात थे तथा घटना वाले दिन दिनांक 18–12–2014 को 10:00 बजे से अपराहन 4:00 बजे तक वे विद्यालय में उपस्थित रहे तथा इस सम्बन्ध में इस साक्षी द्वारा अभियुक्त राजेन्द्र कुमार की उपस्थिति रजिस्टर को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उल्लेखनीय है कि इसी साक्षी द्वारा प्रति परीक्षा में कथन किया गया कि अभियुक्त राजेन्द्र ही उसे बुलाकर लाये हैं रजिस्टर में केवल स्कूल आने का समय लिखा है तथा इस रजिस्टर में जगह–जगह ओवर राईटिंग व कटिंग भी थी तथा जगह–जगह फ्लूड लगा है। इस साक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया गया कि किसी कर्मचारी या अध्यापक को कोई इमरजेन्सी हो तो वह परमिशन लेकर जा सकता है। इस साक्षी द्वारा यह भी कथन किया गया कि वह मुख्य लिपिक के पद पर जुलाई 2017 से तैनात है। इस साक्षी द्वारा यह भी कथन किया गया कि डी0आई0ओ0एस0 या उसके अधीनस्थ कर्मचारी, अधिकारी साधारण निरीक्षण में उपस्थिति रजिस्टर एवं अन्य रजिस्टरों का निरीक्षण करते हैं तथा आज जो वह रजिस्टर लाया है उस पर कहीं भी डी0आई0ओ0एस0 या उसके अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा निरीक्षण का इन्द्राज नहीं है। विद्वान विचारण न्यायालय ने इस सम्बन्ध में यह अवधारित किया है कि उक्त रजिस्टर पर कई जगह ओवर राईटिंग व फ्लूड का इस्तेमाल किया गया है तथा उपरोक्त रजिस्टर डी0डब्लू0–1 द्वारा अनुरक्षित नहीं है तथा डी0डब्लू0–1 द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया कि वह जुलाई 2017 से लिपिक के पद पर कार्य कर रहा है जबकि घटना दिनांक 18–12–2014 की है तथा उपरोक्त रजिस्टर डी0आई0ओ0एस0 के द्वारा प्रमाणित भी नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि डी0डब्लू0–1 द्वारा यह भी कथन किया गया है कि उपरोक्त रजिस्टर में मात्र स्कूल आने का समय लिखा है तथा इमरजेन्सी के समय अध्यापक परमिशन लेकर जा सकते हैं तथा यह भी कथन किया है कि उनके स्कूल से फीना भट्टे की दूरी लगभग 05 किलोमीटर है। यह भी विशेष उल्लेखनीय है कि बचाव पक्ष द्वारा अभियुक्त राजेन्द्र की उपस्थिति स्कूल में होने का ऐसा कोई प्रत्यक्ष साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया जो यह सिद्ध करता कि अभियुक्त राजेन्द्र उस दिन स्कूल आये थे तथा वह पूरे समय जब घटना कारित की गयी स्कूल में ही उपस्थित हों

तथा उनके द्वारा घटना कारित करना सम्भव नहीं है वरन् इसके विपरीत ऐसा साक्षी प्रस्तुत किया गया है जो घटना के समय स्कूल में नियुक्त ही नहीं था। जिससे इस तथ्य को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता कि अभियुक्त राजेन्द्र घटना के समय घटना स्थल पर उपस्थित न हो। इस प्रकार इस सम्बन्ध में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था बिनय कुमार सिंह बनाम स्टेट ऑफ बिहार निर्णय दिनांकित 31–10–1996 में अवधारित किये गये सिद्धान्तों के आलोक में दिया गया निष्कर्ष कि अभियुक्त राजेन्द्र को अन्यत्र उपस्थिति का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता विधि सम्मत है।

18– इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषण एवं परीक्षण के अनुसार अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त होने योग्य है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा फौजदारी वाद सं0 31121/22 सरकार बनाम प्रदीप आदि मु0अ0सं0 514/2014 थाना नूरपुर में पारित निर्णय एवं दण्डादेश दिनांकित 09–09–2022 एवं फौजदारी वाद सं0 2169/2022 सरकार बनाम प्रदीप मु0अ0सं0 514/2014 थाना नूरपुर में पारित दण्डादेश दिनांकित 12–09–2022 फौजदारी वाद में प्रस्तुत तथ्य और उसके सम्बन्ध में आये साक्ष्यो से समर्थित एवं सुसंगत विधि व्यवस्थाओं की उचित अर्थान्वयन एवं न्याय निष्कर्ष पर आधारित हैं, जो पुष्ट होने योग्य हैं। जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

19– अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपीलों में यह भी कथन किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दण्डादेश अत्यधिक है। उल्लेखनीय है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाथीगण राजेन्द्र सिंह, उमराव उर्फ पप्पू एवं प्रदीप को दोषसिद्ध करते हुये प्रत्येक को धारा 323 भा0दं0सं0 में 06–06 माह के साधारण कारावास से, धारा 324 भा0दं0सं0 में 02–02 वर्ष के साधारण कारावास से, धारा 325 भा0दं0सं0 में 03–03 वर्ष के साधारण कारावास व 5,000/–रूपये के अर्थदण्ड से, धारा 504 भा0दं0सं0 में 06–06 माह के साधारण कारावास तथा धारा 506 भा0दं0सं0 में 02–02 वर्ष के साधारण कारावास तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्त को तीन–तीन माह के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया गया है तथा अभियुक्तगण द्वारा पूर्व में जेल में बितायी गयी अवधि समायोजित की गयी है। यह उल्लेखनीय है कि धारा 323 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत अधिकतम 01 वर्ष के कारावास या अधिकतम 1,000/–रूपये के अर्थदण्ड अथवा दोनो, धारा 324 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत अधिकतम 03 वर्ष या अर्थदण्ड या दोनो से, धारा 325 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत अधिकतम 07 वर्ष एवं अर्थदण्ड से, धारा 504 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत अधिकतम 02 वर्ष या अर्थदण्ड या दोनो से तथा धारा 506 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत अधिकतम 07 वर्ष या अर्थदण्ड या दोनो से दण्डित किये जाने का प्राविधान दिया गया है। अतः प्रस्तुत वाद की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को

उचित दण्ड से दण्डित किया गया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

आदेश

20– अपीलार्थीगण/अभियुक्तण की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है। फौजदारी वाद सं0 31121/22 सरकार बनाम प्रदीप आदि मु0अ0सं0 514/2014, थाना नूरपुर, जिला बिजनौर में पारित निर्णय एवं दण्डादेश दिनांकित 09–09–2022 एवं फौजदारी वाद सं0 2169/2022 सरकार बनाम प्रदीप मु0अ0सं0 514/2014, थाना नूरपुर, जिला बिजनौर में पारित दण्डादेश दिनांकित 12–09–2022 पुष्ट किया जाता है।

21– अपीलार्थीगण/दोषसिद्ध अभियुक्तगण आज न्यायालय में उपस्थित हैं। उनके बन्धपत्र एवं जमानतनामे निरस्त किये जाते हैं। दोषसिद्ध अभियुक्तगण को अभिरक्षा में लिया जाता है। दोषसिद्ध अभियुक्तगण को अभिरक्षा में ही सम्बन्धित विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया जाये तथा सम्बन्धित विद्वान विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही निष्पादित करे तथा अपने निर्णय एवं दण्डादेश दिनांकित 09–09–2022 एवं दण्डादेश दिनांकित 12–09–2022 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करे।

22– इस निर्णय की प्रति सहित फौजदारी वाद सं0 31121/2022 सरकार बनाम प्रदीप आदि, अन्तर्गत धारा 323, 324, 325, 504, 506 भा0दं0सं0, थाना नूरपुर, जिला बिजनौर का अभिलेख अविलम्ब प्रतिप्रेषित किया जाये।

23– इस आदेश की एक प्रति फौजदारी अपील सं0 113/2022 राजेन्द्र सिंह आदि बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में रखी जाये। फौजदारी अपीलों की पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार अभिलेखागार संचित हों।

दिनांकः 30–08–2023

(हनी गोयल)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–03,
बिजनौर।
J.O. Code-U.P.-02408

24– यह निर्णय आज मेरे द्वारा दिनांकित एवं हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनांकः 30–08–2023

(हनी गोयल)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–03,
बिजनौर।
J.O. Code-U.P.-02408